अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयोगी जानकारिया :–

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति के साथ घटित किसी भी प्रकार के अत्याचार एवं प्रताड़ना संबंधी घटना की रिपोर्ट जिले में स्थित अजाक थाना अथवा उनके निवास क्षेत्र के नजदीकी थाना/पुलिस चौकी में दर्ज की जाती है।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के व्यक्तियों के साथ घटित घटना में सहायता राशि तथा गंभीर घटना में पुःर्नवास किये जाने के प्रावधान किये गये है। उक्त संबंध में प्रत्येक जिले में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण अधिकारी पदस्थ है। अतः राहत राशि संबंधी कोई भी समस्या के संबंध में उनके कार्यालय में संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकते है।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग के सदस्य की हत्या होने पर आठ लाख रूपये, सामूहिक हत्या एवं सामूहिक बलात्संग के मामलों में आठ लाख रूपये के अलावा अन्य सुविधायें भत्ता, एक सदस्य को रोजगार, कृषिभूमि, घर, शिक्षा, तीन माह का राशन प्रदान करना, बलात्संग के मामले में 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता नियमानुसार प्रदान की जाती है। इसी प्रकार अधिनियम के अधिन अपराध में 10 वर्ष के कारावास से दण्डनीय मामलों में भी पीड़ित/आश्रित को 4 लाख रूपये तक की मद्द दी जाती है। उक्त के संबंध में विस्तृत निर्देश विस्तार से मध्यप्रदेश राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित दिनॉक 1 अगस्त 2016 में प्रकाशित किये गये जो वेवसाईट_www.govtpressmp.nic.in से सीधे डाउनलोड भी किये जा सकते है।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के वर्ग व्यक्ति के द्वारा उनके साथ घटित घटना में दर्ज आपराधिक प्रकरण में साक्ष्य देने न्यायालय जाने में किसी प्रकार का दबाव/व्यावधान कोई अन्य व्यक्ति निर्मित करता है तो उचित विधिक संरक्षण हेतु संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी/अजाक थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक से अनुरोध कर उचित विधिक संरक्षण प्राप्त कर सकता है।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति को जिला/जोन स्तर पर उनके साथ अपराधिक घटना में कार्यवाही नहीं होने की शिकायत हो तो, पुलिस मुख्यालय अजाक की ईमेल आईडी adg_ajk@mppolice.gov.in पर शिकायत/आवेदन प्रेषित कर सकते है एवं समक्ष में प्रस्तुत होकर भी शिकायत दर्ज करा सकते है।
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्येक व्यक्ति को साक्ष्य देने या विवेचना में उपस्थित हेतु बुलाया जाता है, तो उसे एक दिन की मजदूरी प्रतिपूर्ति भत्ता, एक दिन का राशन भत्ता एवं यात्रा व्यय भत्ता भी दिये जाने का प्रावधान है।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्ति के अस्पताल में उपचार के दौरान उसे एवं उसके सहायक को मजदूरी भत्ता एवं राशन भत्ते का भुगतान भी शासन द्वारा किया जाता हैं। उपचार के दौरान सहायक को ठहरने के लिए नजदीक की धर्मशाला में किराये की प्रतिपूर्ति भी शासन द्वारा की जाती है।